न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 239/2011

प्रविष्टि दिनांक 27.07.2011

प्रेमलाल पुत्र बजरंग लाल जाति कुमावत निवासी सरोली तहसील देवली जिला जिला टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री विजय पारीक,अभिभाषक प्रार्थी

(2) श्री रामअवतार सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 14.11.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सरोली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1501/1136 मे निर्मित दुकान का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर 1,87,077 रूपये निर्धारित किया गया है। प्रार्थी 3,98,800 रूपये का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः स्ट्रेक्चर नम्बर L- 148 अवाप्ति क्रमांक 1785 को निरस्त कर 3,98,800 रूपये का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं स्ट्रेक्चर नम्बर L- 148 अवाप्ति क्रमांक 1785 की प्रति तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal

Date: 2023.02.04 16:57:37 IST

Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1501/1136 मे निर्मित दुकान वाके ग्राम सरोली मे अवाप्त की गई है। अवाप्ति भूमि का अधिनियम की

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12

(जिला कलेक्टर)

टोंक (राज.)

धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वंतत्र कन्सलटैन्ट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.एस.आर.) के अनुसार मूल्याकंन कराया है जो कि पूर्णत सही व उचित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात स्ट्रेक्चर नम्बर L- 148 अवाप्ति क्रमांक 1785 तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा भूमि ख0न0 1501/1136 मे प्रार्थी की निर्मित दुकान का स्ट्रेक्चर नम्बर L- 148 अवाप्ति क्रमांक 1785 किस्म जमीन गै0मु0 आबादी वाके ग्राम सरोली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा निर्मित दुकान का मुआवजा NAVAL KISHORG GARG B.E. (Civil), FIV, AMIE Govt. Registered Valuer, Registered from Govt. of India CCIT की सर्वे रिपोर्ट अनुसार चाहा जा रहा हैं, परन्तु उक्त सर्वेकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर का मुआवजा स्वंतत्र कन्सलटैन्ट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से करवाया गया हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 14.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर, एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

आरबीट्रेटर N.H.-12

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:57:37 IST
Reason: SelfAttested